सशोधित

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा

क्रमांकः एफ – ( ) एफसीए / उवसं / Sp-1 Camp-JP

दिनांक : 18-12-18

अधिशाषी अभियंता,
आर.आर.एस.एम.पी.योजना,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा।

विषयः– Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bholwara, Rajasthan) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP / RJ / ROAD / 20893/2016

प्रसंगः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनउ का पत्र क्रमांक प. 8बी / राज. / 06 / 18 / 2018 / एफ.सी. / 543 दि. 11.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रम है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनउ का पत्र क्रमांक प. 8बी / राज. / 06 / 18 / 2018 / एफ.सी. / 543 दि. 11.12.2018 फोटो प्रति संलग्न द्वारा वांधित प्रकरण में 4.1 है संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन एवं 299 वृक्षों के पातन की सशर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक शर्तो की पूर्ण पालना हेतु आप निम्नानुसार राशि कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नवीन लेखा **राजस्थान केम्पाफण्ड खाता** में ऑनलॉइन पोर्टल के माध्यम से जमा करा पालना स्वरूप ऑनलाईन ई–रसीद की छाया प्रति प्रेषित कर अवगत करावे, ताकि भारत सरकार को पालना रिपोर्ट भिजवायी जा सके। साथ ही सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण पालना प्रतिवेदन प्रेषित करावे।

1. शर्त सं. 2 की पूर्ण पालना हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 4.10 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मॉडल अनुसार राशि 4.10 है. X 164100 प्रति है = 672810 / –रू. जमा करावे।
2. शर्त सं. 4 की पूर्ण पालना हेतु भीलवाडा वनमण्डल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.10 हैक्टर हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III मे खुली क्षेत्री का वन मानते हुए रू. 626000 / – प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 4.10 है. X 626000 प्रति है. = 2566600 / – रू. जमा करावे।

साथ ही प्रासंगिक पत्र द्वारा अधिरोपित सैद्धान्तिक शर्त बिन्दु सं. 1,4,6,7,8,9 एवं 10 की पूर्ण ठोस अनुपालना रिपोर्ट भिजवावे ताकि वन भूमि प्रत्यावर्तन संबंधी विधिवत स्वीकृति जारी करवाई जा सके।

भवदीय
18/12/18

(ज्ञानचन्द)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा

क्रमांक / एफसीए / उवस / 15–16 /

दिनांक

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए.राज. जयपुर।
प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

(ज्ञानचन्द)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा